


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 458]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 1998/श्रावण 3, 1920

No. 458]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 1998/SHRAVANA 3, 1920

विद्युत मंत्रालय

अभिज्ञाना

नई दिल्ली 24 जुलाई, 1998

का. आ. 628 (अ).—भारत सरकार 25 अप्रैल, 1998 को पारित विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश, 1998, जिसे कि अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 से प्रतिस्थापित किया गया है, की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टैरिफ का मौखिककरण करने, आर्थिक सहायता हेतु पारदर्शी नीतियां बनाने, कार्यकुशल एवं पर्यावरणीय दृष्टि से हितकर नीतियों को प्रोत्साहन प्रदान करने और इससे संबंधित या आकर्षक मामलों के लिए एतद्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) का गठन करती है। आयोग में अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य नियुक्त होंगे। श्री एस.एल. राव (पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद्) आयोग के अध्यक्ष होंगे। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 3, उप-धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त के. वि.प्र. के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे। केन्द्रीय आयोग का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

केन्द्रीय आयोग उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास चल एवं अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति को अधिग्रहीत करने, रखने, निपटान करने और देका प्रदान करने की शक्ति समेत एक सामान्य मोहर और विराथांगी उच्चधिकार विद्यमान होगा तथा कथित नाम से यह सुक्रदना करेगा अथवा उस पर सुक्रदना चलाया जाएगा।

[फा. सं. 25/12/96-डी(एस ई की)-वाल्प-VI]

प्रदीप बैजल, विरोप नन्दिय

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1998

S.O. 628(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Electricity Regulatory Commissions Ordinance, 1998 promulgated on 25th April, 1998, and since replaced by the electricity Regulatory Commissions Act, 1998, the Government of India hereby constitute the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) for rationalisation of tariff, transparent policies regarding subsidies, promotion of efficient and environmentally benign policies and for matters connected therewith or incidental thereto. The Commission shall consist of Chairperson and three other Members. Shri S.L.Rao (formerly Director General, National Council of Applied Economic Research) will be the Chairperson of the Commission. The Chairman of the Central Electricity Authority (CEA) appointed under sub-section (3) of section 3 of the Electricity (Supply) Act, 1948, shall be Member ex-officio. The head office of the Central Commission shall be at New Delhi.

The Central Commission shall be a body corporate by name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.

[F. No.25/12/96-D(SEB)-Vol. VI]

PRADIP BAJAL, Spl. Secy.